धारा 6–ए आवश्यक वस्तु अधिनियम का प्रकरण सं0 25/2021(RCMS No. : 2021/73) अनवान सरकार बनाम महावीर प्रसाद पुत्र रामस्वरूप जाति बिश्नाई उम्र 35 वर्ष निवासी उडसर पुलिस थाना मुकलावा, तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

14.07.2021

पत्रावली पेश हुई। अप्रार्थी श्री महावीर प्रसाद की ओर से श्री आनन्द व्यास एवं सीताराम बिश्नोई अभिभाषक पूर्व में वाहन स्वामी संदीप कुमार एवं ड्राईवर महावीर प्रसाद की ओर से लिखित बहस पेश कर चुके है और उनकी बहस पूर्व में ही सुनी जा चुकी है एवं विभागीय प्रतिनिधि के रूप में श्री सुरेश कुमार, प्रवर्तन अधिकारी, जिला रसद कार्यालय, श्रीगंगानगर भी अपनी लिखित बहस पूर्व में पेश कर चुके है।

विभागीय प्रतिनिधि एवं अप्रार्थीगण के अधिवक्ता की लिखित बहस एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया तो पाया कि दिनांक 14.05.2021 को 11:00 बजे श्री राकेश सोनी –जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर, श्री संदीप गौड–प्रवर्तन अधिकारी, श्रीकरणपुर, श्री विजेन्द्र पाल–प्रवर्तन अधिकारी, सादुलशहर पुलिस थाना जवाहरनगर, श्रीगंगानगर मौके पहुंचे। मौके पर थानाधिकारी ने पत्रांक 2446/14.05.2021 द्वारा तहरीर पेश की, जिसके अनुसार श्री महावीर प्रसाद पुत्र रामस्वरूप जाति बिश्नोई, उम्र 35 साल, निवासी उड़सर पुलिस थाना मुकलावा, तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर द्वारा पंजाब से डीजल लाता पाये जाने के कारण उसको जांच हेतु रोका गया एवं इसके उपरांत चालक व वाहन को मय पेट्रोलियम पदार्थ पुलिस थाना, जवाहर नगर लाया गया। वाहन चालक ने मौके पर पहचान पत्र या वाहन से संबंधित दस्तावेज उपलब्ध नहीं करवाये। **चालक की ओर से मौके पर मैसर्स माँ शाकाबरी पेट्रोल्स, उसमान खेड़ा (पंजाब) के चार बिल 43001, 43002, 43003, 43004/14.05.2021 के क्रमशः 660, 660, 440, 660 लीटर एचएसडी (डीजल) के जारी है, पेश किये व स्वीकार**

Signature Not Verified
Digitally signed by Zakir Hussain
Date: 2021.09.30 12:31:40 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

किया कि डीजल वह पंजाब से खरीद का लाया है तथा इसका बेचान उसके द्वारा किया जायेगा। मौके पर चालक महावीर प्रसाद व उपस्थित गवाह की उपस्थिति में पिकअप वाहन यूपी–14एस–2698 की जांच की गई। जांच के दौरान वाहन में 11 प्लास्टिक के बड़े ड्रम, व 01 प्लास्टिक का छोटा ड्रम तथा एक प्लास्टिक की छोटी कैनी रखी मिली। सभी को खोलकर देखने व सूंघने पर प्लास्टिक के ग्यारह(11) बडे ड्रमों में व एक प्लास्टिक के छोटे ड्रम में डीजल होना पाया तथा एक प्लास्टिक की छोटी कैनी में पेट्रोल होना पाया। इस प्रकार वाहन में रखे पेट्रोलियम पदार्थ का भौतिक सत्यापन करने पर प्लास्टिक के ग्यारह बड़े व एक छोटे कुल बारह ड्रमों में 2530 लीटर डीजल भरा होना पाया। वाहन चालक महावीर प्रसाद से जब्त डीजल व पेट्रोल के भण्डारण व विक्रय संबंधी कागजात/वैध दस्तावेज मांगने पर ऐसे कोई भी कागजात/वैध दस्तावेज उसके पास नहीं होना बताया गया। इस प्रकार **डीजल व पेट्रोल के भण्डारण के विक्रय संबंधी कागजात/वैध दस्तोवज पेश नहीं करने के कारण मौके पर जब्तशुदा 2530 लीटर डीजल व 4(चार) लीटर पेट्रोल मय 12**(पच्चीस सौ तीस लीटर) **प्लास्टिक ड्रम व एक प्लास्टिक कैनी व एक पिकअप वाहन यूपी–14एस–2698 को जरिए फर्द जब्ती मौका जब्त सरकार किया** जाकर श्री आशुतोष गुप्ता की सुपुर्दगी में जरिये सुपुर्दगीनामा दिया गया। इस प्रकार **महावीर प्रसाद पुत्र रामस्वरूप द्वारा पेट्रोलियम उत्पाद का भण्डारण व विक्रय कर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के सैक्शन 3 के** तहत जारी पेट्रोलियम उत्पाद (उत्पादन, भण्डारण और **प्रदाय का रखरखाव)** आदेश 1999 के खण्ड 2(डी) का स्पष्ट उल्लंघन **किया है।** इसलिए उक्त पीकअप गाड़ी नम्बर **UP-14S-2698 तथा डीजल 2530 लीटर व पैट्रोल 04 लीटर मय 12 प्लास्टिक ड्रम व एक प्लास्टिक कैनी को राजसात करने की प्रार्थना की है।**

Signature Not Verified
Digitally signed by Zakir Hussain
Date: 2021.09.30 12:31:40 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

अप्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अपने लिखित बहस में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन कि था कि प्रार्थी का खरीदशुदा वाहन यूपी 14 एस 2698 दिनांक 14.05.2021 को जिला रसद अधिकारी द्वारा जब्त किया जाकर उक्त वाहन में 2530 लीटर डीजल परिवहन में किये जाने के अपराध के आधार पर आवश्यक वस्तु अधिनियम में उल्लंघन मानते हुए वाहन में परिवहन किये जा रहे डीजल को जब्त किया गया है जबकि वास्तव में उक्त वाहन में 2420 लीटर परिवहन किया जा रहा था।

उनका आगे ये भी कथन था कि अप्रार्थी वाहन स्वामी संदीप कुमार उक्त वाहन में किसी प्रकार अवैध डीजल परिवहन नहीं कर रहा था बल्कि उक्त वाहन में उसका ड्राईवर महावीर प्रसाद परिवहन कर रहा था, जिसको परिवहन करने की सूचना अप्रार्थी वाहन स्वामी को नही थी। उक्त डीजल प्रत्येक व्यक्ति का 2500 लीटर से कम परिवहन किया जा रहा था और उक्त डीजल महावीर प्रसाद व अप्रार्थी वाहन स्वामी के जानकारों का है जो पेशे से किसान है एवं समस्त डीजल बिलशुदा परिवहन किया जा रहा था।

उनका आगे ये भी कथन था कि प्रार्थी महावीर प्रसाद द्वारा उक्त वाहन में अपने मित्रों जो कि पेशे से किसान है के निवेदन पर पंजाब में डीजल सस्ता होने के कारण उक्त वाहन में डीजल परिवहन किया जा रहा था जो कि किसी किराये भाड़े पर नहीं बल्कि जानकारीवश परिवहन किया गया था। उक्त परिवहन की सूचना वाहन मालिक सन्दीप कुमार को नहीं रही है ना ही उसे प्रार्थी द्वारा किसी प्रकार की को[illegible] दी गई थी।

Signature Not Verified
Digitally signed by Zakir Hussain
Date: 2021.09.30 12:31:40 IST
Reason: SelfAttested

उनका आगे ये भी कथन था कि उक्त डीजल पंजाब स्थित पैट्रोल पंप मां शाकम्बरी फ्यूल्स गांव उस्मान खेड़ा, तहसील अबोहर से भिन्न–भिन्न मात्रा में खरीद किये गये थे जो बिल संख्या क्रमशः 43001–जगदेव सिंह – मात्रा 660 लीटर, बिल संख्या 43002–हरमेल सिंह –

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

मात्रा 660 लीटर, बिल संख्या 43003 – महल सिंह – मात्रा 440 लीटर, बिल संख्या 43004–जगदीप सिंह मात्रा 660 लीटर कुल 2420 लीटर के थे जो वरवक्त मौके पर जिला रसद अधिकारी को मूल ही सौंप दिये गये जो पत्रावली में मौजूद है। उक्त चारों बिल 2500 लीटर से अधिक के नही है जो किसी प्रकार का कोई उल्लंघना नहीं हैं। उक्त डीजल अप्रार्थी चालक महावीर प्रसाद से जब्त किया गया है इसलिए उक्त डीजल महावीर प्रसाद को एवं वाहन अप्रार्थी संदीप कुमार, वाहन स्वामी को वापिस लौटाया जावे।

उनका आगे यह भी कथन था कि उक्त व्यक्तियों ने जो डीजल खरीदा था वह समस्त किसान है और उनके द्वारा जिला रसद अधिकारी को जांच में जमाबन्दियां भी दी गई थी परन्तु जिला रसद अधिकारी द्वारा उन्हें मानने से इन्कार कर अप्रार्थी के वाहन को व डीजल को जब्त किया गया है। वाहन के कागजात, जमाबन्दी की प्रतियां जवाब के साथ संलग्न है। बिल की प्रतियां पूर्व में ही पत्रावली में मौजूद है। अप्रार्थीगण के विरूद्ध बिना किसी उल्लंघन के प्रस्तुत किया गया इस्तगासा अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम को ड्रॉप कर अप्रार्थी के वाहन व डीजल को लौटाये जाने के आदेश दिये जावे।

इसके विपरित विभागीय प्रतिनिधि ने अपने लिखित जवाब में कथन किया था कि मुताबिक फर्द जब्ती मौका सभी ड्रमों को मार्क 'ए' से 'एल' तक मार्क किया गया । ड्रम मार्क 'ए' में 230 लीटर, 'बी' में 210 लीटर, 'सी' में 220 लीटर, 'डी' में [illegible] लीटर, [illegible] लीटर, 'एफ' में 220 लीटर, 'जी' में 230 लीटर, 'एच' [illegible] लीटर, 'जे' में 220 लीटर, 'के' में 220 लीटर [illegible] लीटर इस प्रकार कुल 2530 लीटर डीजल मौके पर होना पाया। अतः 2420 लीटर का तथ्य पूर्णतया निराधार व 2500 लीटर की निर्धारित क्षमता का लाभ लेने हेतु कथन किया गया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Zakir Hussain
Date: 2021.09.30 12:31:40 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

उनका आगे कथन था कि मौके पर कोई भी तथ्य किसान होने या किसी अन्य किसान का डीजल परिवहन करने संबंधी पेश नहीं किया गया और मौके पर परिवहनकर्त्ता द्वारा सस्ता होने के कारण डीजल पंजाब से खरीद कर उसका राजस्थान में बेचान करने का तथ्य स्वीकार किया गया है। **वाहन स्वामी की सूचना के सबंध में दायित्व इस कार्यालय का नहीं है व वाहन स्वामी प्रकरण में पक्षकार नहीं है।**

उनका आगे कथन था कि मौके पर मैसर्स माँ शाकाबरी फ्यूल्स, उस्मानखेड़ा अबोहर (पंजाब) के चार बिल 43001, 43002, 43003 43004/14.05.2021 के क्रमर्श 660, 660, 440 व 660 लीटर एचएसडी(डीजल) के जारी है, पेश किये गये व स्वीकार किया कि यह डीजल पंजाब से खरीद कर लाया है तथा इसका बेचान उसके द्वारा किया जावेगा और जिन व्यक्तियों का डीजल बिल में अंकित नाम अनुसार बताया गया है उन व्यक्तियों द्वारा कोई भी प्रार्थना पत्र या दावा लिखित में डीजल लौटाने हेतु आदिनांक तक पेश नहीं किया गया, जिससे यह सिद्ध हो जाता है कि इन व्यक्तियों के नाम से फर्जी बिल निर्धारित स्टॉक सीमा का लाभ लेने हेतु बनाये गये है। यदि मौके पर उक्त के अतिरिक्त बाकी डीजल के बिल पेश नहीं किये है तो उसका दायित्व जब्तीकर्त्ता अधिकारियों का नही हैं।

उनका आगे कथन था कि सुपुर्दगी प्राप्तकर्त्ता श्री आशुतोष गुप्ता, पेट्रोल पंप संचालक [illegible] भी उनके द्वारा विभाग से **2530 लीटर डीजल व 4 लीटर [illegible] बेचान रू. 2,19,624.00 में किया गया है** व उसके द्वारा [illegible] जमा करवा दी जावेगी, जिससे भी अप्रार्थी का यह कथन कि जब्तशुदा डीजल 2420 लीटर या 2440 लीटर है का तथ्य सही नहीं है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Zakir Hussain
Date: 2021.09.30 12:31:40 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

उनका आगे कथन था कि मौके पर अधिकारियों को ऐसा कोई दस्तावेज पेश नहीं किया गया जबकि उनकी ओर से पेश बिल को संलग्न फर्द मौका किया गया तो यह कैसे संभव है कि कृषि संबंधी दस्तावेज पेश किया होता और उसके फर्द मौका के साथ संलग्न करके उसका विवरण फर्द मौका में अंकित नहीं किया गया जाता। इस प्रकार यह तथ्य सहीं सही है, विभाग द्वारा पुलिस विभाग के साथ संयुक्त रूप से कार्रवाई की गई है।

उनका आगे कथन था कि महावीर प्रसाद पुत्र रामस्वरूप द्वारा 2530 लीटर डीजल पंजाब से पिकअप वाहन संख्या यूपी–14एस–2698 बिना किसी वैद्य अनुज्ञा पत्र के परिवहन कर कब्जे में रखकर पेट्रोलियम उत्पाद का भण्डारण व विक्रय का आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के सैक्शन 3 के तहत जारी पेट्रोलियम उत्पाद (उत्पादन, भण्डारण और प्रदाय का रखरखाव) आदेश, 1999 के क्लॉज 2 (आई) का स्पष्ट उल्लंघन किया है। इसलिए जब्तशुदा 2530 लीटर डीजल, 04 लीटर पेट्रोल मय 12 प्लास्टिक ड्रम व एक प्लास्टिक कैनी व एक पिकअप वाहन यूपी–14एस–2698 को राजसात किया जावे।

मैनें, विभागीय प्रतिनिधि एवं अप्रार्थीगण के अधिवक्ता के द्वारा प्रस्तुत मौखिक तर्कों एवं लिखित बहस एवं प्रस्तुत 6ए के प्रार्थना पत्र एवं उसके साथ प्रस्तुत अन्य संलग्न दस्तावेजों आदि का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया और मनन किया तो पाया कि दिनांक 14.05.2021 को 11:00 बजे श्री राकेश सोनी –जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगा[illegible] संदीप गौड–प्रवर्तन अधिकारी, श्रीकरणपुर, श्री विजेन्द्र पाल–प्रवर्तन अधिकारी, सादुलशहर पुलिस थाना जवाहरनगर, श्रीगंगानगर पहुंचे और मौके पर थानाधिकारी ने पत्रांक 2446/14.05.2021 द्वारा तहरीर पेश की, जिसके अनुसार श्री महावीर प्रसाद पुत्र रामस्वरूप जाति बिश्नोई, उम्र 35 साल, निवासी उड़सर पुलिस थाना

Signature Not Verified
Digitally signed by Zakir Hussain
Date: 2021.09.30 12:31:40 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

मुकलावा, तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर द्वारा पंजाब से डीजल लाता पाये जाने के कारण उसको जांच हेतु रोका गया एवं इसके उपरांत चालक व वाहन को मय पेट्रोलियम पदार्थ पुलिस थाना, जवाहरनगर लाया गया। वाहन चालक ने मौके पर पहचान पत्र या वाहन से संबंधित दस्तावेज आदि उपलब्ध नहीं किये। **चालक की ओर से मौके पर मैसर्स माँ शाकाबरी फ्यूल्स, उसमान खेड़ा अबोहर (पंजाब) के चार बिल 43001, 43002, 43003, 43004/14.05.2021 के क्रमशः 660, 660, 440, 660 लीटर एचएसडी (डीजल) के जारी है, पेश किये व स्वीकार किया कि डीजल वह पंजाब से खरीद का लाया है तथा इसका बेचान उसके द्वारा किया जायेगा।** चालक महावीर प्रसाद व उपस्थित गवाह की उपस्थिति में पिकअप वाहन यूपी–14एस–2698 की उनके द्वारा जांच की गई। जांच के दौरान वाहन में 11 प्लास्टिक के बड़े ड्रम, व 01 प्लास्टिक का छोटा ड्रम तथा एक प्लास्टिक की छोटी कैनी रखी मिली। सभी को खोलकर देखने व सूंघने पर प्लास्टिक के ग्यारह(11) बडे ड्रमों में व एक प्लास्टिक के छोटे ड्रम में डीजल था तथा एक प्लास्टिक की छोटी कैनी में पेट्रोल होना पाया। इस प्रकार वाहन में रखे पेट्रोलियम पदार्थ का भौतिक सत्यापन करने पर प्लास्टिक के ग्यारह बड़े व एक छोटे कुल बारह ड्रमों में 2530 लीटर डीजल भरा हुआ था। वाहन चालक महावीर प्रसाद से जब्त डीजल व पेट्रोल के भण्डारण व विक्रय संबंधी कागजात/वैध दस्तावेज मांगने पर ऐसे कोई भी कागजात/वैध दस्तावेज उसके पास नहीं पाया गया। इस प्रकार **डीजल व पेट्रोल के भण्डारण के विक्रय संबंधी कागजात/वैध दस्तावेज नहीं होने के कारण मौके पर जब्तशुदा 2530 लीटर डीजल व 4(चार) लीटर पेट्रोल मय 12**(पच्चीस सौ तीस लीटर) **प्लास्टिक ड्रम व एक प्लास्टिक कैनी व एक पिकअप वाहन यूपी–14एस–2698 को जरिए फर्द जब्ती मौका जब्त सरकार किया** जाकर

Signature Not Verified
Digitally signed by Zakir Hussain
Date: 2021.09.30 12:31:40 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

श्री आशुतोष गुप्ता की सुपुर्दगी में जरिये सुपुर्दगीनामा दिया। इस प्रकार **महावीर प्रसाद पुत्र रामस्वरूप द्वारा पेट्रोलियम उत्पाद का भण्डारण व विक्रय कर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के सैक्शन 3 के तहत जारी पेट्रोलियम उत्पाद (उत्पादन, भण्डारण और प्रदाय का रखरखाव) आदेश 1999 के क्लॉज 2(आई) का स्पष्ट उल्लंघन किया है।** इसलिए उक्त **पीकअप वाहन नम्बर UP-14S-2698 तथा डीजल 2530 लीटर व पैट्रोल 04 लीटर मय 12 प्लास्टिक ड्रम व एक प्लास्टिक कैनी को राजसात करने की प्रार्थना की है।**

आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 14 के अनुसार इस तथ्य का भार अप्रार्थीगण पर ही था कि उसके द्वारा किसी भी अधिनियम, नियम, आदेश तथा अधिसूचना की अवहेलना नही की हैं। आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 14 निम्न प्रकार से है:—

> **"जहां कोई व्यक्ति धारा 3 के अधीन किये गये किसी ऐसे आदेश का उल्लंघन करने के लिए अभियोजित किया जाता है उसे विधिपूर्ण प्राधिकार के बिना अथवा किसी अनुज्ञापत्र, अनुज्ञप्ति या अन्य दस्तावेज के बिना कोई कार्य करने से या किसी चीज को कब्जे में रखने से प्रतिषिद्ध करता है, वहां यह साबित करने का भार कि उसके पास ऐसा प्राधिकार, अनुज्ञापत्र, अनुज्ञप्ति या अन्य दस्तावेज है उसी पर होगा।"**

Signature Not Verified
Digitally signed by Zakir Hussain
Date: 2021.09.30 12:31:40 IST
Reason: SelfAttested

पत्रावली के अवलोकन से प[illegible]िल नं. 43001 — जगदेव सिंह के नाम 660 लीटर डी[illegible] सिंह के नाम 660 लीटर, बिल नं 43003— महल सिंह के नाम 4[illegible] लीटर, बिल नं 43004— जगदीप सिह के नाम 660 लीटर के है और उक्त व्यक्ति जिनके नाम के उक्त बिल जब्त किये गये है जो कि पत्रावली में पक्षकार नहीं है और **न ही उनके द्वारा**

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

उक्त जब्तशुदा डीजल बिलों की मात्रा अनुसार वापिस प्राप्त करने हेतु **कोई आवेदन पत्र आज दिनांक तक इस न्यायालय में प्रस्तुत हुआ है। जिससे यह साबित होता है कि उक्त बिल तथाकथित क्रेताओं न होकर जब्तशुदा समस्त डीजल अप्रार्थी महावीर प्रसाद का ही था जो वह अवैध रूप से पंजाब से परिवहन कर लाया था और उक्त बिल उसने कानूनी प्रावधानों को विफल करने के लिए ही प्राप्त किये है।**

पत्रावली में उपलब्ध **संदीप कुमार** ने अपने प्रार्थना पत्र दिनांक 21.05.2021 में **डीजल की मात्रा 2440 लीटर अंकित की है और जबकि लिखित बहस में अप्रार्थी ने डीजल की मात्रा 2420 लीटर अंकित की है दोनों कथनों में भिन्नता है।** पत्रावली में **फर्द जब्ती जिस पर अप्रार्थी महावीर प्रसाद के स्वयं के हस्ताक्षर भी है, के अवलोकन से जब्त किये गये डीजल की मात्रा 2530 लीटर पाई गई है और इस 2530 लीटर डीजल को ही इस न्यायालय द्वारा दिनांक 01.06.2021 के आदेश से जिला रसद अधिकारी को उक्त डीजल 2530 लीटर को विक्रय करवाकर राशि अमानत के रूप में राजकोष में जमा करवाने के आदेश दिये गये थे।** इस न्यायालय के उक्त अंतरिम आदेश 01.06.2021 की पालना में आशुतोष गुप्ता, पेट्रोल पम्प संचालक द्वारा विक्रय करके अपने प्रार्थना पत्र दिनांक 29.06.2021 के द्वारा जिला रसद अधिकारी को सूचित किया है कि 2530 लीटर डीजल व 4 लीटर पेट्रोल जो उसे सुपुर्दगी पर दिया था, जिसका बेचान 2,19,624/— रूपये में कर दिया है। इसप्रकार अप्रार्थी महावीर द्वारा 25[illegible] परिवहन किया गया है और उसके वाहन संख्या यू[illegible] डीजल ही जब्त किया गया है और जब्तशुदा 2530 लीटर डीज[illegible] व 4 लीटर पेट्रोल ही विक्रय किया गया है। **इस प्रकार अप्रार्थी का उक्त कथन कि डीजल की मात्रा 2420 लीटर अथवा 2440 लीटर है, सही नहीं है। अप्रार्थी द्वारा जो उक्त**

Signature Not Verified
Digitally signed by Zakir Hussain
Date: 2021.09.30 12:31:40 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

काश्ताकारों की **जमाबंदीया पेश की गई है वे समस्त तहसील करणपुर के रहने वाले है और अप्रार्थी महावीर प्रसाद तहसील रायसिंहनगर एवं वाहन स्वामी संदीप कुमार तहसील पदमपुर का निवासी है।** करणपुर से पदमपुर एवं रायसिंहनगर की दूरी लगभग 30–35 कि.मी है और इतनी दूरी वाले व्यक्ति से डीजल मंगवाना उचित नहीं कहा जा सकता। इससे स्पष्ट है कि किसानों का डीजल बताकर हमदर्दी प्राप्त करने का प्रयास है। अगर वास्तव में डीजल उक्त व्यक्तियों/किसानों का होता तो वे अवश्य ही डीजल वापिस प्राप्त करने हेतु अपने अपने स्वयं प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते, किन्तु ऐसा नहीं किया गया।

इस प्रकार महावीर प्रसाद के कब्जे से उसके वाहन से निर्धारित सीमा 2500 लीटर डीजल से अधिक डीजल अ**र्थात 2530 लीटर डीजल प्राप्त हुआ है,** जिसका उसके पास उक्त मात्रा में डीजल परिवहन करने व कब्जे में रखने का कोई वैध अनुज्ञा पत्र भी नहीं है और उक्त वाहन संख्या **UP-14S-2698** जिसका डीजल परिवहन में उपयोग किया गया है वो **जिला परिवहन अधिकारी, श्रीगंगानगर की रिपोर्ट दिनांक 30.06.2021 के अनुसार दिनांक 19.03.2018 को 4.0 पर ब्लैक लिस्ट किया हुआ है** और उक्त वाहन का **टैक्स दिनांक 12.03.2018 तक ही वैद्य था** तथा उसके **बाद राजस्थान राज्य का टैक्स भी जमा नहीं हुआ है और फिटनैस सर्टिफिकेट भी 09.10.2017 को अवधिपार हो गया था। इसप्रकार यह वाहन संख्या UP-14S-2698 कानूनन सड़क पर चलने लायक नहीं था।** इसके अतिरिक्त सहायक वाणिज्य कर अधिकारी, श्रीगंगानगर की **रिपोर्ट दिनांक 30.06.2021 के अनुसार राजस्थान राज्य के वैट की क्षति** भी पहुंचाई है।

चूंकि अप्रार्थी डीजल के अवैध करोबार में लिप्त है और उक्त जब्तशुदा वाहन का उपयोग भी बिना किसी वैद्य अनुज्ञापत्र के 2530 लीटर डीजल

Signature Not Verified
Digitally signed by Zakir Hussain
Date: 2021.09.30 12:31:40 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

परिवहन करने में किया गया है जो **आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के सैक्शन 3 के तहत जारी पेट्रोलियम उत्पाद (उत्पादन, भण्डारण और प्रदाय का रखरखाव) आदेश,1999 के क्लॉज 2(आई) का स्पष्ट उल्लंघन है।** इसलिए उक्त महावीर प्रसाद से जब्तशुदा उक्त वाहन पिकअप संख्या **UP-14S-2698** मय 2530 लीटर डीजल के **राजसात करने योग्य ठहरते है।**

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के सैक्शन 3 के तहत जारी पेट्रोलियम उत्पाद (उत्पादन, भण्डारण और प्रदाय का रखरखाव) आदेश,1999 के क्लॉज 2(आई) की अवेहलना के कारण **जब्तशुदा 2530 लीटर डीजल, 4 लीटर पेट्रोल मय 12 प्लास्टिक ड्रम व एक प्लास्टिक कैनी एवं एक पिकअप UP-14S-2698 भी राजसात किये जाते है।**

चूंकि उक्त जब्तशुदा वाहन डीजल के अवैध कारोबार में लिप्त पाये गये है इसलिए माननीय माननीय उच्चतम न्यायालय के **न्यायिक दृष्टान्त कलक्टर गंजम व अन्य बनाम रमेश चन्द्र पांधी 2009 डीएनजे (एससी) पेज 340 के अनुसार वाहन राजसात** करने की दशा में वाहन के एवज में वाहन के बाजार मूल्य तक जुर्माना लगाया जा सकता है। चूंकि साहबराम के वाहन संख्या **UP-14S-2698** का अनुमानित **बाजार भाव एक लाख पच्चास हजार रूपये** है। **इसलिए वाहन पर एक लाख रूपये जुर्माना अरोपित किया जाता है और यदि वाहन स्वामी उक्त जुर्माना राशि अदा कर देवें तो जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर उक्त वाहनों को नियमानुसार वाहन स्वामी को सुर्पुद कर देवें अन्यथा नियमानुसार वाहनों** [illegible] **किया जाकर विक्रय राशि स्थाई रूप से राजकोष में जमा करावें।**

Signature Not Verified
Digitally signed by Zakir Hussain
Date: 2021.09.30 12:31:40 IST
Reason: SelfAttested

चूंकि पूर्व में जब्तशुदा डीजल ज्वलनशील द्रव्य है **व इसमें छिजत होने की संभावना है।** इसलिए **माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायिक (1990)2 दृष्टांत Shambu Dyal Aggarwal Versus State of Bangarl & Anr. Page 665,**

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

State of Bihar & Anr. versus Arvini Kumar & Anr. 2012 Cr. L.R. (SC)(726) and - Madras High Court CRIMES 1992(1) K.P. Francis V State by Inspector of Police and Page 56 में दिये गये मार्गदर्शन एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6ए(2)(i) के प्रावधानों के अन्तर्गत जब्त शुदा उक्त 2530 लीटर डीजल के अन्तरिम निस्तारण करने के आदेश दिये गये थे अब उक्त राजसात किये गये 2530 लीटर डीजल की विक्रय राशि एवं अन्य उपकरणों को विक्रय कर राशि स्थाई रूप से राज्य पक्ष में राजकोष में जमा करवाने के लिए जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर को आदेश दिये जाते है। आदेश की प्रति जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर एवं थानाधिकारी, जवाहर नगर, श्रीगंगानगर को पालनार्थ एवं सूचनार्थ भिजवाई जावे।

चूंकि धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की कार्रवाई एवं राजस्थान वैट अधिनियम 2003 के अन्तर्गत वैट सम्बन्धी कार्रवाई अलग–अलग है। 6ए की कार्रवाई के लिए निम्नहस्ताक्षरकर्ता सक्षम है। राजस्थान वैट अधिनियम 2003 के अन्तर्गत कार्रवाई करने के लिए सम्बन्धित वाणिज्य कर विभाग ही सक्षम है।

चूंकि इस प्रकरण में सहायक वाणिज्य कर अधिकारी, घट द्वितीय, प्रतिकरावचंन वाणिज्य कर, श्रीगंगानगर के पत्रांक 09.06.2021 के अनुसार **राजस्थान वैट अधिनियम 2003 के अनुसार** उक्त 2530 डीजल की अनुमानित कीमत 2,16,695/– पर **26 प्रतिशत की दर से वैट, 30 प्रतिशत की दर से शास्ति एवं 1.75/– रूपये प्रति** लीटर सेस देय बनता है। इसलिए वाहन रिलीज करने से पूर्व राज्य सरकार का राजस्व सुनिश्चित करने की प्रार्थना की है। **चूंकि उक्त प्रकरण में 2530 लीटर डीजल एवं उक्त वाहन संख्या यूपी 14 एस 2698 राजसात करने के आदेश दिये गये है और वाहन पर एक लाख रूपये जुर्माना आरोपित किया गया है जो जुर्माना अदा करने पर ही**

Signature Not Verified
Digitally signed by Zakir Hussain
Date: 2021.09.30 12:31:40 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

वाहन रिलीज करने के आदेश दिये गये है। वैट अधिनियम के तहत कार्रवाई करने एवं वैट वसूली करने के लिए सम्बन्धित विभाग स्वयं सक्षम है। अगर इस न्यायालय के आदेश के विपरीत कोई अपील न्यायालय से आदेश प्राप्त होगा तो सहायक वाणिज्य कर अधिकारी को सूचित कर दिया जावे।

चूंकि इस प्रकरण में जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर एवं थानाधिकारी, जवाहरनगर, श्रीगंगानगर के द्वारा धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत अप्रार्थी के विरूद्ध एफ.आई.आर. दर्ज न करने के सम्बन्ध कार्रवाई विचाराधीन है और जब्तशुदा वाहन यूपी 14एस 2698 के ब्लैक लिस्ट होने, टैक्स अदा न होने, फिटनैस प्रमाण पत्र, बीमा आदि के सम्बन्ध में जिला परिवहन अधिकारी, श्रीगंगानगर के समक्ष भी कार्रवाई विचाराधीन है। इसलिए इस प्रकरण से उक्त वैट सम्बन्धी की कार्रवाई, 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम की कार्रवाई और वाहन से सम्बन्धित जिला परिवहन अधिकारी, श्रीगंगानगर कार्रवाई को इस प्रकरण से अलग किया जाकर, अलग जारी रखी जावे। इस आदेश की प्रति सहायक वाणिज्य कर अधिकारी, घट द्वितीय प्रतिकरावचंन, वाणिज्य कर, श्रीगंगानगर एवं जिला परिवहन अधिकारी, श्रीगंगानगर को दी जावे।

यह आदेश आज दिनांक 14.07.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

Signature Not Verified

(जाकिर हुसैन)

Digitally signed by Zakir Hussain
Date: 2021.09.30 12:31:40 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर